राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

website

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2013/पार्ट–II/ 6979-7510 दिनांक : 3/7/15

1. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक,
   राजस्थान।

2. समस्त उप पंजीयक,
   (पदेन एवं पूर्णकालीन),
   राजस्थान

विषय : शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त करने, दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि लगाने तथा परिवादों/शिकायतों/ आवेदन पत्रों की रसीद देने के संबंध में।

महोदय,

प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.15 (1)ए.आर./जी.आर.–1/2014 दिनांक 24.11.14 **(प्रति संलग्न)** द्वारा शपथ पत्र/ अभिप्रमाणित दस्तावेज (Attested Document) की अनिवार्यता को समाप्त करने व स्व–अभिप्रमाणित/स्व–घोषणा (Self Attested/Self Declaration) व्यवस्था लागू करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा पत्रांक एफ.7(39)जन/13/ पार्ट–II/13–25 दिनांक 01.01.15 सभी उप महानिरीक्षगण को जारी कर उपरोक्त परिपत्र की पालना करवाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

विभाग द्वारा अब तक निम्नलिखित मामलों में शपथ पत्र लिये जाने के निर्देश दिये हुए हैं :–

1. "कहीं भी पंजीयन योजना" के अन्तर्गत मूल क्षेत्राधिकार से भिन्न कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने के औचित्य के संबंध में।
2. "कही भी पंजीयन योजना" के अन्तर्गत प्रस्तुत दस्तावेज में किसी न्यायालय में कोई वाद अथवा स्थगन नहीं होने के संबंध में।

विभाग में, वर्तमान में दस्तावेजों को पंजीबद्ध करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपरोक्त शपथ पत्र तथा इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रयोजनार्थ लिये जा रहे शपथ पत्रों के स्थान पर स्व–अभिप्रमाणित (Self Attested) दस्तावेज एवं स्व–घोषणा–पत्र (Self Declaration) दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे, लेकिन परिपत्र दिनांक 24.11.14 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार अधिनियमों/नियमों में आवश्यक किये गये शपथ–पत्र/ अभिप्रमाणित दस्तावेज भविष्य में भी प्राप्त किये जाते रहेंगे। स्व–घोषणा–पत्र (Self Declaration) का प्रारूप प्रशासनिक सुधार विभाग के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 24.11.14 के संलग्न परिशष्ट–1 पर दिया गया हैं। अतः दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया एवं अन्य मामलों में स्व–अभि–प्रमाणन/स्व–घोषणा व्यवस्था की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर प्रक्रिया को सुलभ व सरल बनाया जायें।

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http:/igrs.rajasthan.gov.in

जिन मामलों में स्व–घोषणा–पत्र लिये जाने है उनकी सूची तथा जिन मामलों में अधिनियमों/नियमों के तहत अभिप्रमाणित शपथ पत्र लिये जाने हैं, उनकी सूची अपने अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, आम जनता की सूचना के लिये चस्पा करेंगे।

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स को पत्रांक प.15(1)प्रसु/अनु–1/2014 दिनांक 23.04.15 जारी कर परिवादों/शिकायतों/आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद लेनें के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस पत्र की पालना के संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक प.5(33) वित्त/कर/2015 दिनांक 03.06.15 के द्वारा आपको पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं।

सभी उप महानिरीक्षकों एवं उप पंजीयकों को पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि उनके कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले परिवादों/शिकायतों/आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से दी जायें तथा कार्यालय की भवनों की दीवारों पर निम्नांकित स्लोगन अंकित किये जायें :–

1. "राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2015 से शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था की है।"
2. "यहां पर इस विभाग/कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के परिवाद/शिकायत/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। प्राप्ति रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार हैं।"

सभी उप महानिरीक्षक एवं उप पंजीयक की गई पालना से 15 दिवस में विभाग को आवश्यक रूप में अवगत करावें। सभी उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान कैम्प कोर्ट अथवा निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करें कि उनके वृत्त के सभी उप पंजीयकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना कर ली गई हैं।

भवदीय

(के.बी. गुप्ता)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2013/पार्ट–II/7511–13 दिनांक : 3/7/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर।
3. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय अजमेर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http:/igrs.rajasthan.gov.in